
SRI AUROBINDO COLLEGE



(UNIVERSITY OF DELHI)



PROSPECTUS 2025-2026

But few are those who tread the sunlit path; Only the pure in soul can walk in light.

> Sri Aurobindo Ghosh (15th August 1872 - 5* December 1950

Sri Aurobindo College (University of Delhi)

The Statue of the great nationalist and philosopher

Sri Aurobindo Ghosh

was installed on 30th October 2013

in the august presence of

Prof. Dinesh Singh

University of Delhi


Prof. Umesh Rai











SRI AUROBINDO GHOSH (1872 - 1950)

PROSPECTUS 2025-2026

SRI AUROBINDO COLLEGE (University of Delhi)

Malviya Nagar, New Delhi-110017 Phone: 26692986, Fax: 26691014 Email: principal@aurobindo.du.ac.in Web: www.aurobindo.du.ac.in





The crest jewel of renascent India, Sri Aurobindo was a revolutionary beacon, not only a poet-patriot but also an educationist who carried forward the ancient tradition of wisdom through his philosophy, leaving behind a rich legacy of spiritualism for the succeeding generations. We at Sri Aurobindo College, subscribe to the his vision, guided by Sri Aurobindo's teachings in our collective commitment towards academic excellence.

With the objective of providing quality education to young aspiring minds, the foundation of our college was laid in 1972. With time, our college has established a name for itself in the University of Delhi and today is counted as one of the most coveted places of learning, a fact which is visible in our ability to attract students even from far-flung areas of the country. The college's commitment to diversity, equity, and inclusion among the students, faculty, and staff is central to fulfilling our core mission of imparting education. The students remain at the center of the myriad activities of the college and the creativity of each student is honed to develop it to its fullest potential, for which the college offers multifarious opportunities.

Our college is also known for its highly qualified academicians, evidenced by the fact that today, our peer alumni teachers are serving as professors in several departments of the University and also appointed as principals in other colleges. Our alumni is well placed in the fields as diverse as journalism, filmmaking, banking, academics, finance, management and entrepreneurship, and are performing remarkably well in all spheres of life.

LOCATION

Sri Aurobindo College is situated in the heart of South Delhi in Malviya Nagar, in the vicinity of Qutab Minar, Sri Aurobindo Ashram, IIT Delhi, NCERT and Qutab Institutional Area.

It is within walking distance from the Malviya Nagar Metro Station (Yellow Line) and is well connected with the rest of the city by buses and Delhi metro.





From the desk of the Principal

Greetings to prospective students and their families!

I extend a warm welcome to you all to University of Delhi's Sri Aurobindo College, one of the premier institutions of the nation and a distinguished constituent college of the University of Delhi.

College life marks the beginning of a new chapter, filled with dreams, as one transitions from the structured environment of school. Our college offers fresh opportunities with the freedom to discover and explore, by providing the perfect environment for its students to realise their full potential.

Our faculty comprises an academically distinguished group of educators who bring a wealth of knowledge and expertise. Our current faculty consists of 21 Professors, 21 Associate professors, 111 Assistant Professors. Dedicated to their roles as teachers, their mentorship extends beyond the confines of the classroom to create safe spaces for students-teacher interaction that not only helps students excel academically but also hones their personality in many other ways. Many top rank achievers from our college have won accolades in prestigious university examinations in the past. Additionally, our college takes pride in its vibrant array of cultural societies that cater to the diverse interests of students, fostering a dynamic campus life that thrives on creativity and vibrant social engagement. The eclectic array of activities and competitions, especially during our annual fest "Mehak", bring out the latent talents of students, providing them with avenues to foster crucial life skills such as teamwork, leadership and time management. Academics and extra-curricular both offer avenues for self-discovery and fulfilment.

At Aurobindo, the teaching-learning approach is student centric, as we constantly strive to plan student-centric initiatives such as seminars, conferences, workshops, and industry trips where students get firsthand knowledge from professionals in many industries. We prioritize placement, as evidenced by this year's Job and Internship Fair, which connected us with 50 prestigious companies to ensure our students are placed even before they graduate.

As the leader of this organization, I am quite proud of the supportive and intellectually stimulating atmosphere that we have painstakingly built at Aurobindo over the years. As you browse through the pages of our prospectus and consider the prospect of a future at Aurobindo, I assure you that your experience here will be profoundly enriching. We are committed to providing unwavering support for a wholesome educational experience and urge you to choose us without hesitation. May God Bless you!

Prof Arun Chaudhary Principal

DISCLAIMER

Every care has been taken to verify the authenticity of the contents of this prospectus. The information given herein pertains only to the courses offered by Sri Aurobindo College. For detailed information, the applicants are advised to refer to the University of Delhi Information Bulletin or they may contact the Office of Dean, Students Welfare, University of Delhi. The information contained on the relevant Rules, Ordinances and Statutes of the University of Delhi will be final. The data contained in the Prospectus is only indicative and must not be used for legal purposes. The college reserves the right to make any alteration/addition in the prospectus





THE FACULTY

PRINCIPAL

Prof. Arun Chaudhary

DEPARTMENT OF BOTANY

Prof. Manju M. Gupta

Prof. Rashmi Mathur

Dr. Anil Kumar Mavi (Teacher-in-charge)

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

Prof. Pramod Kumar

Prof. Pravita Kumar

Prof. Sangeeta Kaul

Prof. Soni Rastogi

Prof. Aprajita Chauhan

Prof. Vinay Kumar Singh

Dr. Laxmi Tanwar

Dr. Shikha Narang Dr. Sakshi Malik (Teacher-in-charge)


Dr. Avinash Kumar Sonkar

Dr. Narpat Raj Nenival

Dr. Shashank Shekhar

Dr. Priyanka Meena

DEPARTMENT OF COMMERCE



Dr. Meenakshi Gupta

Prof. Namita Rajput

Dr. Asha Kiran Gupta

Prof. Anjali Bhatnagar

Dr. Meenakshi Chaudhary

Dr. Nishita Gupta

Dr. Shasta Gupta

Mrs. Silky Jain (Teacher-in-charge)

Mrs. Minny Narang

Dr. Vandana Munjal

Mrs. Priyanka Bedi

Mrs. Ankita Goel

Dr. Yogesh Garg

Dr. Parul Goel

Dr. Seema Nashier

Dr. Pratyush Singh

Ms. Aakriti Saini

Mrs. Kirti Yadav

Mrs. Sonia Lohia

Mrs. Sonia

Dr. Kaushalendra Pal Singh

Ms. Shruti

Mr. Ankit Singh

Ms. Ila Yadav

Mr. Saurabh Kumar

Mr. Kaushal Yadav

Dr. Vijay Lakshmi

Mr. Vikas Kumar

Mrs. Shalu

Mr. Alok Bandhu

Mr. Kishore Kumar Shah

Mr. Dinesh Meena

Dr. Priyanka Meena

Dr. Kapil Garg

Mr. Abhishek Mishra

Ms. Sangeetha B.

Mr. Kartik Saini





DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE

Mrs. Pratibha R. Gupta

Ms. Deeksha Joshi(Teacher-in-charge)

DEPARTMENT OF ECONOMICS

Dr. Renuka Anoop Kumar

Dr. Parul Jain

Ms. Hema Nagpal (Teacher-in-charge)

Mr. Shikhar Kumar

Dr. Mahesh Kaushik

Ms. Saloni Khanna

Mr. Vinay Kumar Yadav

Mr. Anil Kumar

Ms. Shivani Tanwar

Mr. Ramesh Kumar

Mr. Sudarshan Kumar

DEPARTMENT OF ELECTRONICS

Mrs. Shobhna Chandra

Prof. Vandna Bhalla

Dr. P.P. Singh

Dr. Manju Pruthi (Teacher-in-charge)

Dr. Rinki Sharma

Dr. Mamta Sharma

Dr. Shubhra Gupta

Dr. Himanshu Kushwah

Mr. Avanish Yadav

Dr. Anita Kumari

Dr. Deepak Kumar Jaiswal

DEPARTMENT OF ENGLISH

Prof. Tasneem Shahnaaz

Mrs. Jyotika Kumar

Dr. Raj Kumar Verma

Prof. Meeta Mathur

Ms. Mousumi Biswas

Mrs. Sukriti Sobti

Ms. Vibhuti Wadhawan

Mrs. Pratibha Kumari (Teacher-in-charge)

Dr. Hemchandra Nameirakpam

Mr. Shivam Verma

Ms. Aibhi Biswas

Ms. Pooja Pandey

DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Dr. Neetu Dwivedi

Mrs. Kalpita Sonowal (Teacher-in-charge)



DEPARTMENT OF HINDI

Dr. Meenakshi Gupta

Dr. Viney Jain

Dr. Hans Raj (Teacher-in-charge)

Dr. Pankajendra Kishore

Mr. Abhinav Prakash

Dr. Pooja Cheema

Dr. Deepa

Dr. Pooja Madan

Dr. Kailashi Meena

Dr. Shivmangal Kumar

Mr. Aman Yadav

Mr. Nirdesh Prajapati

DEPARTMENT OF HISTORY

Prof. Amit Jha

Mr. Vinay Bhardwaj

Dr. Naushaba Shaikh (Teacher-in-charge)

Dr. Chandni Sengupta

Dr. Sunaina

Dr. Dinesh Kumar

Mr. Devrishi Gurjar

DEPARTMENT OF MATHS

Prof. Rajiv Aggarwal

Dr. Davinder Singh

Dr. Rajesh Kumar (Teacher-in-charge)

Dr. Mamta Garg

Mr. Sanyam Gupta

Dr. Monu Kumar

Dr. Mahesh Singh

DEPARTMENT OF PHYSICS

Dr. Om Prakash

Dr. Sanjay Tyagi

Dr. Sharmistha Lahiry

Dr. Poonam Jain (Teacher-in-charge)

Dr. Anupama Yadav

Dr. Manju Yadav

Dr. Kishan Dass

Mr. Himanshu Singh

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE

Dr. A. N. Misra

Prof. Vipin Kr. Malhotra

Dr. S. S. Rana

Dr. Prashant Barthwal (Teacher-in-charge)

Dr. Anurag Pandey

Mr. Rounak Kumar Pathak

Dr. Surbhi Sehgal

Mr. Vikas Yadav

Ms. Ekta Basoya

Dr. Harish Kumar

Dr. Anju

Dr. Lamneivah Sitlhou

Mr. Avinash Negi

Ms. Chanchal Meena

Mr. Divyendu Jha

Mr. Vikas Anand

Mr. Sachin Kumar

DEPARTMENT OF SANSKRIT

Dr. Vijit Kumar (Teacher-in-charge)

DEPARTMENT OF ZOOLOGY

Dr. Kamal Jeet Dabas

Mr. Om Prakash Singh Yadav

Dr. Nitin Chauhan (Teacher-in-charge)

Dr. Anita Singh

DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION

Prof. Arun Chaudhary (Teacher-in-charge)



ADMINISTRATION

Mr. Ravinder Singh: Administrative Officer

Mr. Anil Sharma: Section Officer

Mr. Pawan Kumar Gupta: Senior Assistant (On Deputation)

Mr. Naveen Aggarwal: Senior Assistant Mr. Tarun Kumar: Senior Assistant Mr. Kiran Pal Singh: Assistant Mr. Sanjay Kumar: Assistant

Mr. Pankaj Kumar: Assistant

PUBLIC INFORMATION OFFICER (Under RTI Act 2005)

Prof. Sangeeta Kaul, Professor

ADDITIONAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Prof. Rashmi Mathur, Professor

COURSES OFFERED

SANCTIONED STRENGTH OF THE STUDENTS FOR UG COURSES ACADEMIC YEAR 2025-2026									
COURSE NAME	TOTAL INTAKE	General	EWS	SC	ST	OBC	PwD	CW	KM
B.A.(H) English	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.A. (H) Hindi	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.A. (H) Pol. Science	77	31	8	12	5	21	4	4	2
B.Com. (Prog.)	347	140	35	52	26	94	17	17	7
B.Com. (H)	77	31	8	12	5	21	4	4	2
B.Sc. Life Science	58	23	6	9	4	16	3	3	1
B.Sc. Phys. Science	115	46	12	17	9	31	6	6	2
B.Sc. (H) Electronics	40	16	4	6	3	11	2	2	1
DISCIPLINE WISE B.A	. PROGRAM	IME SEAT	MATRI	X FOR T	ГНЕ АС	ADEMIC	YEAR 20	025-202	6
B.A. Prog. Pol. Science-History	154	62	16	22	12	42	6	6	2
B.A. Prog. Economics-Pol. Science	77	31	7	12	6	21	3	3	1
B.A. Prog Commerce-Economics	77	31	7	12	6	21	3	3	1
B.A. Prog. History- Economics	44	17	6	7	2	12	2	2	1
B.A. Prog. Sanskrit- Economics	11	4	1	2	1	3	1	1	1
B.A. Prog. Sanskrit- History	11	4	1	2	1	3	1	1	1
B.A. Prog. Sanskrit- Political Science	11	4	1	2	1	3	1	1	1

The college follows curriculum framed by the University of Delhi.



RESERVED SEATS

- 1. Scheduled Castes (15%)
- 2. Scheduled Tribes (7.5%)
- 3. OBC (27%)
- 4. EWS as per government rule

SUPERNUMERARY SEATS

- 1. PWD (5%)
- 2. Children/Widows of the officers and men of the Armed Forces (5%) (As per University Rules)
- 3. ECA (2.5%)
- 4. Sports (2.5%)
- 5. Ward of Kashmiri Migrants (5%)
- 6. Prime Minister special scholarship scheme for J&K students
- 7. Nominated Sikkimese Students (by VC Nominee)
- 8. Foreign Students (10%)
- 9. Wards of Teaching & Non Teaching Staff of Delhi University (5%)
- 10. Orphan Quota (2 seats, for 1 boy & 1 girl in each programme)
- 11. Single Girl Child (1 seat in each programme)

The admissions under the above reserved categories shall be made as per the University guidelines and in accordance with the procedure laid down by the University from time to time.

PROCEDURE OF ADMISSION

The schedule for allocation-cum-admission to all Undergraduate Programmes of all Colleges of University of Delhi for the Academic Session 2025-26 is as under:

1. Commencement of Phase II of CSAS

After the declaration of results of the Common University Entrance Test (CUET)-UG by the National Testing Agency, the University announces the commencement of Phase-II of Common Seat Allocation System (UG) - 2025.

In this phase, the candidates who had successfully completed the Phase-I must login to their dashboard (https://cuet.samarth.ac.in/) to choose their preferred Programmes and College combinations, subject to fulfillment of the eligibility criteria.

2. Correction Window

A Correction Window has also been provided for candidates who have already completed their Phase-I and wish to edit/ modify certain fields.

This is a one-time facility for candidates to update their profile. OBC(NCL), EWS, SC, ST, Minority, PwBD candidates who wish to re-upload their updated documents / certificates can do so in the Correction Window.



Candidates will not be allowed to edit/ modify the following fields in the Correction Window:

- a) Candidate's Name
- b) Candidate's Photograph
- c) Candidate's Signature
- d) Candidate's Gender
- e) Candidate's Registered Email id
- f) Candidate's Mobile number
- g) Candidate's Category/ Sub-Category/ Caste / Supernumerary Quota

Candidates will also not be able to apply for ECA and Sports Supernumerary Quota during this Window. However, they may re-upload their certificates. Only the documents/ certificates uploaded on the CSAS portal will be considered for admission purposes.

The Correction Window will be open till the notified date declared by the University.

Verification of certificate will be done by the college once a student joins classes physically.

3. Calculation of Programme-Specific merit score:

In Phase-II, the candidates will be required to map the subjects studied by them in Class XII to those in which they have appeared in CUET-2025. Only those subjects in which the candidate passed the Class XII board exam will be taken into consideration. In case the subject studied in Class XII was not a part of CUET, the subject similar or closer to the subject studied in Class XII will be considered. It will be sole responsibility of the candidate to provide correct subject-mapping. For admission, the University of Delhi will consider subject-based "Normalized Score" provided by NTA for calculating the Programme-Group merit scores. Based on the Normalized score, the candidates will be able to view their Program-Specific CUET score for all the programmes for which they are eligible. These programme-specific CUET scores will be automatically calculated and shown on the candidates' dashboard.

4. Advise for Filling the Preferences

The candidate will be able to select and order his/ her preferences through the "Preference Selection" section. The "Available Preferences" tab will display all the possible Programme + College combinations the candidate may choose from. To filter the Colleges as well as the Programmes, the "Advanced Filter" option available at the top can also be used. The candidate will have to choose and list the order of preferences as per his /her choice. It is the order of selection that will determine the preference order.

The applicant can use "Top, Bottom and Preference Number" icons to reorder their preferences. The final order of preferences, as filled out and saved, will then be displayed in the "Selected Preferences" tab. Once satisfied with the preference order, the candidate must "Save Changes" in order to submit his/ her preferences. The candidates will be allocated and admitted based on their saved preferences. It is advisable to choose maximum number of preferences in which a candidate is willing to take admission, if offered. Addition/ deletion/ or editing the Programmes and the Colleges after the Phase-II deadline will NOT be permitted.



5. CSAS(UGJ-2025 Allocation-cum-Admission Schedule

The University may announce more rounds of admission subject to the availability of vacant seats, if any. The Academic Session for Undergraduate Programs for Semester I, III, V and VII will commence as per the University Calendar provided.

Please refer to the university website for the updated admission schedule and information.

6. Extra allocations in First Round

For all programs across the College, 20% additional allocations will be made in the UR, OBC-NCL, and EWS categories during the first round of allocation, and 30% further allocations may be made in the SC, ST, and PwBD categories. However, in colleges where the withdrawal was less than 5% of the intake in the last Academic Session, 10% extra allotments may be done for UR/OBC(NCL)/ EWS and 15% extra allotments may be done for SC/ST/PwBD categories. The University may decide on policies, as and when required, to fill the seats optimally; in the larger interest of the students.

7. Public Awareness Webinars

The Admission Branch has established email and chat-box facility to help prospective students resolve their admission-related queries. Helpdesks have also been set up at various Colleges of the university to ease the process. Details are available on the admission website of the University: http:// admission.uod.ac.in

The webinars will be telecast live on the official YouTube channel of the University: University of Delhi. Candidates are advised to read the Undergraduate Bulletin of Information 2025, CSAS 2025 rules, and visit the admission website of the University regularly for all updates.

- 1. Undergraduate Bulletin of Information 2025: https://www.du.ac.in/uploads/07032025_UG-BOI_compressed.pdf
- 2. Admission website: http://admission.uod.ac.in
- 3. CSAS Registration link: https://uqadmission.nod.ac.in

MIGRATION

The principal of Sri Aurobindo College will consider an application for migration from another university college only if it is sent by the principal of the college from which the migration is sought. Only after receiving written approval from both Principals may the Registrar make any necessary changes to the enrolment entries in the University Register. The right to grant migration is entirely reserved by the college.



ATTENDANCE

It is mandatory for students to attend all lectures, tutorials and practicals. Tutorials are counted separately for the purpose of attendance. As per the University Regulations, the minimum attendance requirement for each course is 66% counted separately. Students who do not meet the required attendance percentage will not be permitted to take the university exam.

INTERNAL ASSESSMENT & CONTINUOUS ASSESSMENT

Internal Assessment in various subjects shall be governed by the University Guidelines.

FEES AND OTHER CHARGES: PAYABLE AT THE TIME OF ADMISSION - YEAR 2023-24

FEE STRUCTURE - (2025-26) UG COURSES

S.No.	Fees Head	B.A. Prog, B.A. Hons. Eng/Hindi, Pol.Sc./B. Com/B.Com H First Year	B.J. Prog, B.A (H Eng/Hindi, Pol Sc./B.Com/ B.Com (H)	B.Sc Electronics/B.Sc Life Science/ B.Sc Physical Science First Year
1.	University Student Welfare Fund	250		250
2.	University Development Fund	1500		1500
3.	University Facilities and Services Charges	1500		1500
4.	Economically Weaker Section Support	250		250
5.	Delhi University Student Union (DUSU Fund)	40	40	40
6.	Tuition Fees	180		180
7.	College Facilities and Service Charges	2280	55	2316
8.	College Development Fund	2470		2470
9.	College Student Welfare Fund	4600		7600
	Total	13070	95	16106

NOTE:

- (a) Foreign students are required to pay an amount equivalent to \$100 US in addition to the registration feebeing collected by the University.
- (b) At the time of admission, the students will be required to pay fees for six months (May to October) along with other annual charges.
- (c) No student will be permitted to appear in the University Examination unless all dues are paid to the college and a clearance is obtained to this effect.



REFUND OF FEES

The refund of fees will be admissible according to the University rules.

REFUND OF SECURITY

If a student fails to apply for refund within three years of the date of his/her leaving the college, his/her college & library security shall be forfeited. A deduction will be made from the security money if any part of college property is damaged or lost by the student. After taking due consent from the student the security money may be transferred to the Alumni Fund of the college.

IDENTITY CARD

Following admission, each student will receive an Identity Card from the college. He / She is required to carry it with him/her at all times in the College. Only those who present their identity card at the main entrance are allowed entry to the college. It must also be produced on demand by any member of the staff at any time in the College. Duplicate Identity Cards may be issued in the event of loss/ damage/overwriting/mutilation, subject to proper explanation to the satisfaction of the College authorities and on payment of a penalty of Rs. 50/- for each replacement. The student will be required to inform the college office immediately about any change in their address for communication failing which their ID cards will be cancelled.

SCHOLARSHIPS/FEE CONCESSION/ STUDENTS' AID FUND etc.

The college also offers a variety of scholarships under various categories/ schemes of Govt. of India and University of Delhi. The details can be obtained from the scholarship/SC/ST/OBC/PwBD cell of University of Delhi. Those in need of financial assistance or those who demonstrate academic merit are eligible for these concessions. The College reserves the right to withdraw such concessions if a student is found either irregular in attendance or a laggard in studies. All eligible SC/ST, OBC, PWD Students who are admitted to the college should submit the scholarship form B for processing.

Additionally, the college also maintains 'Students Aid Fund' to provide incentives to needy students in the form of books and scholarships etc. The college is likely to constitute two merit-cum-means scholarships for a period of one year. Depending on the recipient's academic performance, the award is renewed annually. An award for the best student overall who performs exceptionally well in both extracurricular and academic pursuits is being considered.

COLLEGE MAGAZINE

The College's Magazine 'Arbind Jyoti' presents a glimpse of the myriad forms of excellence the college nurtures in every academic year, while providing an opportunity to the faculty members and students alike for creative self-expression through writing. The pages of the magazine are a collaborative literary effort, reflecting curricular and extra-curricular talent of the staff and students.

ANTI-SMOKING NODAL OFFICERS

The college has been declared a no smoking zone. The anti-smoking nodal officers have been appointed by the college to keep a check on the same within the premises.

MEDICAL CHECK-UP AND FOLLOW-UP

Annual Medical check-up of students is done by a team of visiting doctors in the College. A full-time nurse has also been deputed for medical check-up of the students.



SPORTS

The various sports teams of the College have consistently displayed noteworthy performances in the past. Whether Boxing, archery gymnastics, judo or cricket, our athletes have been on a winning spree in almost all discipline of sports. This is evidenced by the fact that year after year, we have provided outstanding players to the university. The players' dedication and consistency in practicing, as well as the hard work of the coaches and sports committee, deserve all the credit for the same.







NATIONAL CADET CORPS

The College NCC cadet has an active institutional training and cultural calendar, with the NCC battalion of budding patriots ably commanded by the NCC officer. The cadets maintained their pace last year as well, taking part in various campus and social activities. During the last year, the cadets participated in many state and national level camps and have shown excellent results in 'B' & 'C' certificate examinations. The NCC coy continues to uphold its motto of "Unity and Discipline" with honour, dedication and the spirit of national service..







NATIONAL SERVICE SCHEME

The College has a very active NSS unit. The students under the inspiration of Program Officer have rendered useful social service in the past by participating in programs such as cleanliness drive, community upliftment services such as literacy workshop for the specially-abled students, plantation and donation drives, blood donation camps etc. In its responsibility and service towards Nation and society, NSS continues to nurture empathy, leadership and civic engagement throughout the year.

COLLEGE TIMINGS

Classes begin at 8.15am.

OFFICE HOURS

Student dealing is transacted between 9:30 am to 1.00 pm and 1:30 pm to 3:30 pm on all working days. The college office is open from Monday to Friday.

STUDENT UNION

The Student Union is the premier student body of the college that offers a platform to the students to enhance their leadership qualities. Its main objective being to raise students' issues and redress students' grievances. An election is held to elect the president, general secretary and other office bearers of the union. All the students of the college automatically become the members of the Student Union. It becomes the focal point of students' activities in the College that aims to teach students democratic institutional procedures.

ORDINANCES

ORDINANCE XV-B

Maintenance of discipline among Students of the University

- 1. All powers relating to discipline and disciplinary action are vested in the Principal/Vice Chancellor.
- 2. The Principal / Vice- Chancellor may delegate all or such powers as he / she deems proper to the Proctor and to such other persons as he/she may specify in this behalf.
- 3. Without prejudice to the generality of power to enforce discipline under the Ordinance the following shall amount to acts of gross indiscipline:
 - a. Physical assault, or threat to use physical force, against any member of the teaching and non-teaching staff of any Institution/ Department and against any student within the University of Delhi.
 - b. Carrying of, use of or threat to use of any weapons.
 - c. Any violation of the provisions of the Civil Rights Protection Act, 1976
 - d. Violation of the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled castes and tribes
 - e. Any practice-whether verbal or otherwise-derogation of women.
 - f. Any attempt at bribing or corruption in any manner
 - g. Willful destruction of institutional property



- h. Creating ill-will or intolerance on religious or communal grounds
- i. Causing disruption in any manner of the academic functioning of the College system;
- j. Prohibition of ragging as per Ordinance XV-D.
- 4. Without prejudice to the generality of his / her powers relating to the maintenance of discipline and taking such action in the interest of maintaining discipline as may seem to him/her appropriate, the Principal/ Vice Chancellor, may in the exercise of his / her powers aforesaid order or direct that any student or students
 - a. Be expelled; or
 - b. Be, for a stated period rusticated; or
 - c. Be not for a stated period, admitted to a course or courses of study in a College, Department or Institution of the University; or
 - d. Be fined with a sum of rupees that may be specified; or
 - e. Be debarred from taking a University or College or Departmental Examination or Examinations for one or more years; or that the result of the student or students concerned in the Examination or Examinations in which he/she or they have appeared be cancelled.
- 5. Each student shall be expected to provide himself / herself with a copy of these rules. At the time of admission, every student shall be required to sign a declaration that on admission he / she submits himself / herself to the disciplinary jurisdiction of the Principal / Vice-Chancellor and several authorities of the University who may be vested with the authority to exercise discipline under the Acts, the Statutes, the Ordinances and the rules that have been framed therein by the University/College.

ORDINANCE XV-C

Prohibition and Punishment for Ragging

- 1. Ragging in any form is strictly prohibited, within the premises of College/Department or Institution and any part of Delhi University system as well as on public transport.
- 2. Any individual or collective act or practice of ragging constitutes gross indiscipline and shall be dealt with under this Ordinance.
- 3. Ragging for the purposes of this Ordinance, ordinarily means any act, conduct or practice by which dominant power or status of senior students is brought to bear on students freshly enrolled or students who are in anyway considered junior or inferior by other students; and includes individual or collective acts or practices which
 - a. Involve physical assault or threat to use of physical force.
 - b. Violate the status, dignity and honour of women students.



- c. Violate the status, dignity and honour of students belonging to the scheduled caste and tribe.
- d. Expose students to ridicule and contempt and affect their self-esteem.
- e. Entail verbal abuse and aggression, indecent gestures and obscene behaviour.
- 4. The Principal of a College, the Head of the Department or an Institution, the authorities of College, or University Hostel or Halls of Residence shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
- 5. Notwithstanding anything in Clause (4) above, the Proctor may also suo-moto enquire into any incident of ragging and make a report to the Principal /Vice-Chancellor of the identity of those who have engaged in ragging and the nature of the incident.
- 6. The Proctor may also submit an initial report establishing the identity of the perpetrators of ragging and the nature of the ragging incident.
- 7. If the Principal of a College or Head of the Department or Institution or the Proctor is satisfied that for some reason, to be recorded in writing, it is not reasonably practical to hold such an enquiry, he/ she may so advise the Principal /Vice-Chancellor accordingly.
- 8. When the Principal/Vice-Chancellor is satisfied that it is not expedient to hold such an enquiry, his Iher decision shall be final.
- 9. On the receipt of a report under Clause (5) or (6) or a determination by the relevant authority under clause (7) disclosing the occurrence of ragging incidents described in Clause 3(a), (b) and (c), the Principal/ Vice Chancellor shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of years.
- 10. The Principal/Vice-chancellor may in other cases of ragging order or direct that any student or students be expelled or be not for a stated period, admitted to a course of study in a college, departmental examination for one or more years or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.
- 11. In case any students who have obtained degrees or diplomas of Delhi University are found guilty; under this Ordinance, appropriate action will be taken under Statute 15for withdrawal of degrees or diploma conferred by the University.
- 12. For the purpose of this Ordinance, abetment to ragging whether by way of any act, practice or incitement of ragging will also amount to ragging.
- 13. All Institutions within the Delhi University system shall be obligated to carry out instructions / directions issued under this Ordinance, and to give aid assistance to the Vice-Chancellor to achieve the effective implementation of the Ordinance.

Note: Ragging is a Punishable offence as per the Government of India norms.



The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (MINISTRY OF LAW AND JUSTICE)

The act provides protection against sexual harassment of women at workplace and is for the prevention and redressal of complaints of sexual harassment and for other matters connected therewith. Sexual harassment results in violation of the fundamental rights of a woman to equality under articles 14 and 15 of the Constitution of India, with her right to live with dignity under article 21 of the Constitution, along with the right to practice any profession, occupation or business. It includes the right to a safe working environment free from sexual harassment; the protection against sexual harassment and the right to work with dignity are universally recognized human rights by international conventions and instruments such as Convention on the Elimination of all forms of discrimination against Women, ratified on the 25th June, 1993 by the Government of India. It is expedient to make provisions for giving effect to the said Convention for protection of women against sexual harassment at workplace.

The College firmly believes in the policy of gender neutrality and respects all genders. For gender equity, the institution has established Paakhi and Samvedna. Paakhi: The Women Empowerment Cell and Samvedna: The Gender Sensitization Forum of the college are committed to building an inclusive society for gender equity.


PARENTS/GUARDIANS

The College seeks co-operation of parents/ guardians and would appreciate their continued interest in their wards. The College would as far as possible keep them posted on the progress of their wards in both academic and extracurricular activities.

LIBRARY AND READING ROOM

Considering the significance of a library for any institution, our college has a dedicated space allotted for the collection and upkeep of books. The library boasts of a rich collection of books whose recordkeeping is completely computerised with a wide range of books for the students in various disciplines.

The library houses more than sixty-four thousand books and subscribes to several newspapers, magazines and e-journals. At present there are more than 66,765 books in the library. The reading room of the library provides daily newspapers, magazines, journals and periodicals.





The college library subscribes to 66 e-magazines and new materials are added every year to the existing repository. Students should make it a point to study the library rules and regulations carefully. Under no circumstances the student is allowed to tamper, tear the leaves from any book/periodical of the College library. Silence must be observed in the vicinity.

LABORATORY FACILITY

The College has well developed laboratories for its science departments. Physics, Chemistry, Zoology, Botany and Electronics laboratories are all well-equipped with latest instruments and apparatus.

COMPUTER LABORATORY

College has a well-equipped computer lab with centralized Internet facility. Besides being used regularly by the students to study their course work, the computer lab can is also used to develop their knowledge in various spheres of education.

TRAINING AND PLACEMENT CELL

Student-driven Placement Cell facilitates career counselling and recruitment drives for students. It also apprises students about the requirements of job markets by organising skill-building workshops and seminars. With mentorship, recruiter interactions and live hiring opportunities, the college offers unmatched industry exposure to empower students for future careers. The Training and Placement Cell of the college serves as an interface and facilitating connections between the students and the corporate world. Quite abuzz during the placement time last year, the Annual job and internship Fair saw participation of more than 500 students, with the onboarding of more than 47 top companies and 70+ professional profiles. The college witnessed offers from a wide range of industries in which more than 200 students got selected for internships and placements. Recruiters included Axis Bank, Maruti Suzuki, KPMG, Deshaw, Zomato, SBI, PlanetSpark, GSC Associates, Bellway Realtech, Swiggy, Mahindra, Career Launcher, Lenskart, Urban Company, Tradeshala, Bizguruukul, Pioneer Solutions etc.

CULTURAL ACTIVITIES

Sri Aurobindo College has a distinguished history of sustained cultural activity in drama, music, photography, dance and debate, among others, and boasts of an active cultural group that has carved an identity for itself in the University cultural arena. These activities are organised through our eight registered cultural societies: Moksh (Theatre), Crunk (Western Dance), Bandwagons (Fashion), Taleem (Indian Music), Aellgro (Western Music), Sage (Literary), 3Ps (Painting, Poster & Photography) and Salvation (Environment).

Under the able guidance of the faculty coordinators, these societies hone the students to perform and participate in various, vibrant inter-college and intra-college events. To find new potential within the college, the college hosts an annual Talent Hunt competition in early September. Students have previously made the college proud by performing exceptionally well in a number of inter and intra-college competitions as well as the annual cultural fests. North-East students' cell creates an inclusive environment for students from the North-East, promoting cultural exchange through its annual fest.

The Annual College Cultural Festival **Mehak** is an eagerly awaited two-day event that sees enthusiastic participation from different institutions across the country in various categories of competitions. The college is also a member of the renowned **Spicmacay**, Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture among the youth. Such enriching annual interactions help students in developing a wholesome understanding of our rich cultural heritage.









NOTIFICATION

The Academic Calendar to be followed for I, III, V, VII, semester of the relevant Undergraduate courses for the academic year 2025-26 by the University subsequently.



दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

Acad. I/299/Academic Calendar/368 Dated: 04.07.2025

NOTIFICATION

The Academic Calendar to be followed for the all Undergraduate and Postgraduate Programmes for the academic session 2025-26, is hereby notified for necessary compliance by all concerned:

Semester I/III/	V/VII				
Classes Begin	1st August, 2025 (Friday)				
Autumn Break	19 th October, 2025 (Sunday) to 26 th October, 2025 (Sunday)				
Classes begin after Autumn Break	27th October, 2025 (Monday)				
Dispersal of classes, preparation leave and practical examination begin	27 th November,2025 (Thursday)				
Theory examinations begin	10thDecember,2025 (Wednesday)				
Winter Break	28 th December, 2025 (Sunday) to 1 st January,2026 (Thursday)				
Semester II/IV/V	/I/VIII				
Classes begin	2 nd January, 2026 (Friday)				
Mid Semester Break	1st March, 2026 (Sunday) to 8th March, 2026 (Sunday)				
Classes begin after Mid Semester Break	09th March, 2026 (Monday)				
Dispersal of classes, preparation leave and practical examination begin	30 th April, 2026 (Thursday)				
Theory Examination Begin	16th May, 2026 (Saturday)				
Summer Vacation	1 st June, 2026 (Monday) to 20 th July, 2026 (Monday)				

In order to give effect to the above-mentioned Academic Calendar for the Academic Session 2025-26, summer vacation notified in the existing Academic Calendars for the Undergraduate and Postgraduate Programmes for the academic session 2024-25 has been extended from 20th July, 2025 to 31st July, 2025.

REGISTRAR

दिल्ली विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, दिल्ली-110007 (भारत) दूरभाष : 27667725/27001000; वेबसाइट : www.du.ac.in University of Delhi, Main Campus, Delhi-110007 (India) Tel. : 27667725/27001000; Website : www.du.ac.in

Note: Students are advised to check the university website for updates and revisions to the academic calendar





श्री अरविंद घोष (1872 - 1950)

विवरण-पुस्तिका 2025 - 2026

श्री अरविंद महाविद्यालय (दिल्ली विश्वविद्यालय)

मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017

दूरभाष : 26692986, फैक्स : 26691014

ई-मेल : principal@aurobindo.du.ac.in

वेब : www.aurobindo.du.ac.in



महाविद्यालय के विषय में

नवजागृत भारत के गौरवमय रत्न, श्री अरविंद एक क्रांतिकारी प्रकाश स्तंभ थे जो कवि और देशभक्त ही नहीं, बल्कि एक ऐसे शिक्षाविद भी थे, जिन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने दर्शन के माध्यम से आगे बढ़ाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिक समृद्धि विरासत में छोड़ गए। हम श्री अरविंद महाविद्यालय में उनके इसी दृष्टिकोण को अपनाते हैं और श्री अरविंद की शिक्षाओं से प्रेरित होकर शैक्षणिक उत्कृष्टता की दिशा में सामृहिक प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं।

युवा प्रतिभाओं को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे महाविद्यालय की नींव वर्ष 1972 में रखी गई थी। वर्षों के सतत प्रयासों और उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण के बल पर महाविद्यालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया है और आज यह देश के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में एक माना जाता है। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश के दूर-दराज़ क्षेत्रों से भी विद्यार्थी यहां अध्ययन के लिए आते हैं। छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच विविधता, समानता और समावेशिता के प्रति महाविद्यालय की प्रतिबद्धता हमारे प्रमुख उद्देश्य की पूर्ति का मूल आधार है। महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों का केंद्र हमारे विद्यार्थी होते हैं, और प्रत्येक छात्र की सृजनात्मकता को निखारकर उसकी पूर्ण संभावनाओं तक पहुँचाने के लिए संस्थान विविध प्रकार के अवसर प्रदान करता है।

हमारा महाविद्यालय अपने उच्च कोटि के शिक्षाविदों के लिए विख्यात है और यह हमारे शैक्षणिक उत्कर्ष का प्रमाण है कि आज हमारे अनेक पूर्व छात्र, शिक्षक न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं, बल्कि कई अन्य कॉलेजों में प्राचार्य के पद को भी सुशोभित कर रहे हैं। हमारे पूर्व छात्र पत्रकारिता, फिल्म निर्माण, बैंकिंग, शिक्षण, वित्त, प्रबंधन और उद्यमिता जैसे विविध और प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक स्थापित हैं, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी दक्षता और प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं।



अवस्थिति

श्री अरबिंदो कॉलेज दक्षिणी दिल्ली का दिल मालवीय नगर में तथा कुतुब मीनार, श्री अरबिंदो आश्रम आई.आई.टी दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया के आसपास स्थित है।

यह मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन (पीली रेखा) से कम पैदल दूरी पर है और शहर के बाकी हिस्सों से बसों और दिल्ली मेट्रो द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है।











प्रिय छात्रों एवं उनके अभिभावक को हार्दिक शुभकामनाएँ!

मैं आप सभी का दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री अरविंद महाविद्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह महाविद्यालय देश के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में से एक है और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है।

महाविद्यालय का जीवन छात्र-जीवन के नए पड़ाव की शुरुआत को दर्शाता है, आप जहाँ स्कूल के संरचित वातावरण से बाहर निकलकर अपने सपनों को नई उड़ान देने का अवसर पाते हैं। हमारा महाविद्यालय आपको नई संभावनाओं के साथ वह स्वतंत्रता प्रदान करता है, जिसमें आप स्वयं को जान सकें, खोज सकें और अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सकें। हमारे महाविद्यालय के हरेक संकाय में विद्वान एवं अनुभवी शिक्षकगण शामिल हैं। वर्तमान में हमारे महाविद्यालय में 21 आचार्य, 21 सह आचार्य, और 111 सहायक आचार्य कार्यरत हैं। ये शिक्षकगण न केवल शिक्षण कार्य में समर्पित हैं, बल्कि कक्षा से बाहर भी छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और ऐसा सुरक्षित वातावरण बनाते हैं जहाँ छात्र-शिक्षक खुलकर संवाद कर सकें। इसका परिणाम यह है कि हमारे छात्र विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करते हैं और अनेक पुरस्कार जीतते हैं।

हमारे महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी समृद्ध और विविधतापूर्ण हैं, जो छात्रों की विभिन्न रुचियों को प्रोत्साहित करती हैं। हमारी वार्षिक सांस्कृतिक संस्था "महक" सहित विभिन्न प्रतियोगिताएँ और गतिविधियाँ छात्र-छात्राओं की छिपी हुई प्रतिभाओं को उजागर करने का अवसर प्रदान करती हैं। ये सांस्कृतिक गतिविधियाँ समूह में काम करने,छात्रों के अंदर नेतृत्व क्षमता और समय प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को भी विकसित करते हैं।

एक संस्थान प्रमुख के रूप में मुझे गर्व है कि हमने श्री अरविंद महाविद्यालय में वर्षों की मेहनत से सहयोगी और बौद्धिक रूप से समृद्ध वातावरण का निर्माण किया है। जब आप हमारे महाविद्यालय के विवरण-पुस्तिका के पृष्ठों को पढ़ेंगे और यहाँ अपने भविष्य की कल्पना करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका अनुभव अत्यंत समृद्ध और ज्ञानवर्धक होगा। हम छात्रों में सम्पूर्ण शैक्षिक-विकास के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम आशा करते हैं कि आप पढ़ने तथा सीखने के लिए निःसंकोच हमारे महाविद्यालय का चुनाव करेंगे।

ईश्वर आपको आशीर्वाद दें!

प्रो. अरुण चौधरी प्राचार्य, श्री अरविंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय

अस्वीकरण

इस प्रॉस्पेक्टस की सामग्री की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए हर सावधानी बरती गई है। यहाँ दी गई जानकारी केवल श्री अरविंद महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों से संबंधित है। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली विश्वविद्यालय की सूचना बुलेटिन देखें या वे दिल्ली विश्वविद्यालय के डीन (छात्र कल्याण) कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के सुसंगत नियमों, अध्यादेशों और कानूनों पर दी गई जानकारी अंतिम होगी। प्रास्पेक्टस में मौजूद डेटा केवल सांकेतिक है और इसका उपयोग कानूनी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कॉलेज यूजीसी/दिल्ली विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर प्रॉस्पेक्टस में कोई भी परिवर्तन/जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।





संकाय सूची

प्राचार्य

प्रोफेसर अरुण चौधरी

वनस्पति विज्ञान विभाग

प्रो. मंजू एम. गुप्ता प्रोफेसर रश्मि माथुर डॉ. अनिल कुमार मावी (शिक्षक प्रभारी)

रसायन विज्ञान विभाग

प्रो प्रमोद कुमार

प्रो. प्रवीता कुमार

प्रो. संगीता कौल

प्रो. सोनी रस्तोगी

प्रो. अपराजिता चौहान

प्रो. विनय कुमार सिंह

डॉ. लक्ष्मी तंवर

डॉ. शिखा नारंग

डॉ. साक्षी मलिक (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. अविनाश कुमार सोनकर

डॉ. नारपत राज नेनिवल

डॉ. शशांक शेखर

डॉ. प्रियंका मीना



वाणिज्य विभाग

प्रो. सुभांजिल चोपड़ा

डॉ. मीनाक्षी गुप्ता

प्रो. निमता राजपूत

डॉ. आशा किरण गुप्ता

प्रो. अंजलि भटनागर

डॉ. मीनाक्षी चौधरी

डॉ. निशिता गुप्ता

डॉ. शास्ता गुप्ता

श्रीमती सिल्की जैन (शिक्षक प्रभारी)

श्रीमती मिन्नी नारंग

डॉ. वंदना मुंजाल

श्रीमती प्रियंका बेदी

श्रीमती अंकिता गोयल

डॉ. योगेश गर्ग

डॉ. पारुल गोयल

डॉ. सीमा नाशीर

डॉ. प्रत्युष सिंह

सुश्री आकृति सैनी

श्रीमती कीर्ति यादव

श्रीमती सोनिया लोहिया

श्रीमती सोनिया

डॉ. कौशलेंद्र पाल सिंह

सुश्री श्रुति

श्री अंकित सिंह

सुश्री इला यादव

श्री सौरभ कुमार

श्री कौशल यादव

डॉ. विजय लक्ष्मी

श्री विकास कुमार

श्रीमती शालू

श्री आलोक बंधू

श्री किशोर कुमार शाह

श्री दिनेश मीणा

डॉ. प्रियंका मीना

डॉ. कपिल गर्ग



श्री अभिषेक मिश्रा सुश्री संगीता बी श्री कार्तिक सैनी

कंप्यूटर विज्ञान विभाग

श्रीमती प्रतिभा आर. गुप्ता सुश्री दीक्षा जोशी (शिक्षक प्रभारी) अर्थशास्त्र विभाग

डॉ. रेणुका अनूप कुमार डॉ. पारुल जैन सुश्री हेमा नागपाल (शिक्षक प्रभारी) श्री शिखर कुमार डॉ. महेश कौशिक सुश्री सलोनी खन्ना श्री विनय कुमार यादव श्री अनिल कुमार सुश्री शिवानी तंवर श्री रमेश कुमार श्री सुदर्शन कुमार

इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग

श्रीमती शोभना चंद्रा प्रो. वंदना भल्ला डॉ. पी. पी. सिंह डॉ. मंजू प्रुथी (शिक्षक प्रभारी) डॉ. रिंकी शर्मा डॉ. ममता शर्मा डॉ. शुभ्रा गुप्ता डॉ. हिमांशु कुशवाह श्री अवनीश यादव डॉ. अनीता कुमारी डॉ. दीपक कुमार जायसवाल

तमसो मा ज्योतिर्गमय UNIVERSITY OF DELHI

अंग्रेजी विभाग

प्रो. तस्त्रीम शाहनाज़ श्रीमती ज्योतिका कुमार डॉ. राज कुमार वर्मा प्रोफेसर मीता माथुर सुश्री मौसुमी बिस्वास श्रीमती सुकृति सोबती सुश्री विभूति वधावन श्रीमती प्रतिभा कुमारी (शिक्षक प्रभारी) डॉ. हेमचंद्र नामिरकपम श्री शिवम वर्मा डॉ. ऐभी बिस्वास सुश्री पूजा पांडे

पर्यावरण विज्ञान विभाग

डॉ. नीतू द्विवेदी श्रीमती कल्पिता सोनोवाल (शिक्षक प्रभारी)

हिन्दी विभाग

डॉ. मीनाक्षी गुप्ता

डॉ. विनय जैन

डॉ. हंस राज (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. पंकजेंद्र किशोर

श्री अभिनव प्रकाश

डॉ. पूजा चीमा

डॉ. दीपा

डॉ. पूजा मदान

डॉ. कैलाशी मीना

डॉ. शिवमंगल कुमार

श्री अमृन यादव

श्री निर्देश प्रजापति

इतिहास विभाग

प्रोफे्सर अमित झा

श्री विनय भारद्वाज

डॉ. नौशाबा शेख (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. चांदनी सेनगुप्ता

डॉ. सुनैना

डॉ. दिनेश कुमार

श्री देवऋषि गुर्जर





गणित विभाग

प्रो. राजीव अग्रवाल

डॉ. दविंदर सिंह

डॉ. राजेश कुमार (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. ममता गर्ग

श्री संयम गुप्ता

डॉ. मोनू कुमार

डॉ. महेश सिंह

भौतिकी विभाग

डॉ. ओम प्रकाश

डॉ. संजय त्यागी

डॉ. शर्मिष्ठा लाहिरी

डॉ. पूनम जैन (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. अनुपमा यादव

डॉ. मंजू यादव

डॉ. किशन दास

श्री हिमांशु सिंह

राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. ए .एन. मिसरा

प्रो. विपिन क्र. मल्होत्रा

डॉ. एस। एस। राणा

डॉ. प्रशांत बार्थवाल (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. अनुराग पांडे

डॉ. रौनक कुमार पाठक

डॉ. सुरभि सहगल

श्री विकास यादव

सुश्री एकता बसोया

डॉ. हरीश कुमार

डॉ. अंजू

डॉ. लामनेइव सिटलहौ

श्री अविनाश नेगी

सुश्री चंचल मीना

श्री दिव्येंदु झा

श्री विकास आनंद

श्री सचिन कुमार

संस्कृत विभाग

डॉ. विजीत कुमार (शिक्षक प्रभारी)





जीव विज्ञान विभाग

डॉ. कमल जीत डबास

श्री ओम प्रकाश सिंह यादव

डॉ. नितिन चौहान (शिक्षक प्रभारी)

डॉ. अनीता सिंह

महाविद्यालय प्रबंधन

श्री रवींद्र सिंह: प्रशासनिक अधिकारी

श्री अनिल शर्मा: अनुभाग अधिकारी

श्री पवन कुमार गुप्ता: वरिष्ठ सहायक (प्रतिनियुक्ति पर)

श्री नवीन अग्रवाल: वरिष्ठ सहायक

श्री तरुण कुमार: वरिष्ठ सहायक

श्री किरण पाल सिंह: सहायक

श्री संजय कुमार: सहायक

श्री पंकज कुमार: सहायक

लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत) प्रो. संगीता कौल, प्रोफेसर

अतिरिक्त जन सूचना अधिकारी प्रोफेसर रश्मि माथुर, प्रोफेसर





प्रस्तावित पाठ्यक्रम – शैक्षणिक वर्ष 2025–26

स्नातक पाठ्यक्रमों की स्वीकृत छात्र संख्या									
पाठ्यक्रम का नाम	कुल प्रवेश	सामान्य	ईडब्ल्यूएस	एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	सीडब्ल्यू	केएम
बी.ए. (ऑनर्स) अंग्रेज़ी	58	23	6	9	4	16	3	3	1
बी.ए. (ऑनर्स) हिंदी	58	23	6	9	4	16	3	3	1
बी.ए. (ऑनर्स) राजनीति विज्ञान	77	31	8	12	5	21	4	4	2
बी.कॉम (प्रोग्राम)	347	140	35	52	26	94	17	17	7
बी.कॉम (ऑनर्स)	77	31	8	12	5	21	4	4	2
बी.एससी. जीवन विज्ञान	58	23	6	9	4	16	3	3	1
बी.एससी. भौतिक विज्ञान	115	46	12	17	9	31	6	6	2
बी.एससी. (ऑनर्स) इलेक्ट्रॉनिक्स	40	16	4	6	3	11	2	2	1
बी.ए. प्रोग्राम विषयवार सीट संरचना									
बी.ए. प्रोग्राम राजनीति विज्ञान – इतिहास	154	62	16	22	12	42	6	6	2
बी.ए. प्रोग्राम अर्थशास्त्र – राजनीति विज्ञान	77	31	7	12	6	21	3	3	1
बी.ए. प्रोग्राम वाणिज्य – अर्थशास्त्र	77	31	7	12	6	21	3	3	1
बी.ए. प्रोग्राम इतिहास – अर्थशास्त्र	44	17	6	7	2	12	2	2	1
बी.ए. प्रोग्राम संस्कृत – अर्थशास्त्र	11	4	1	2	1	3	1	1	1
बी.ए. प्रोग्राम संस्कृत – इतिहास	11	4	1	2	1	3	1	1	1
बी.ए. प्रोग्राम संस्कृत – राजनीति विज्ञान	11	4	1	2	1	3	1	1	1

कॉलेज पाठ्यक्रम और आरक्षित सीटें

महाविद्यालय,दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन करता है।





- 1. अनुसूचित जातियाँ (एससी): 15%
- 2. अनुसूचित जनजातियाँ (एसटी): 7.5%
- 3. अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 27%
- 4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस): सरकार के नियम अनुसार

अतिरिक्त सीटें:

- 1. दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी): 5%
- 2. सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कर्मचारियों की विधवाएँ/बच्चे (सीडब्ल्यू): 5%
- 3. अतिरिक्त पाठ्यक्रम उपलब्धियाँ (ईसीए): 2.5%
- 4. खेल कोटा: 2.5%
- 5. कश्मीरी प्रवासी (केएम): 5%
- 6. प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू एवं कश्मीर छात्रों हेतु)
- सिक्किम से नामांकित छात्र (वीसी द्वारा नामित)
- 8. विदेशी छात्र: 10%
- 9. दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक/गैर-शिक्षक स्टाफ के बच्चे: 5%
- 10. अनाथ कोटा: 2 सीटें (1 लड़का, 1 लड़की प्रति कार्यक्रम)
- 11. एकल बालिका: प्रत्येक कार्यक्रम में 1 सीट

उपर्युक्त सभी श्रेणियों के अंतर्गत प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किए जाएँगे।

प्रवेश-प्रक्रिया

शैक्षणिक सत्र 2025-26 हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी महावि के समस्त स्नातक कार्यक्रमों के लिए आवंटन-सह-प्रवेश की सूची निम्नलिखित है:

1) सीएसएएस के दूसरे चरण की शुरुआत

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा विश्वविद्यालय सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) स्नातक के नतीजे घोषित होने के बाद विश्वविद्यालय सामान्य सीट आवंटन प्रणाली (सी.एस.ए.एस)-2025 के प्रारंभ होने की घोषणा करेगा।

इस चरण में जिन अभ्यर्थियों ने पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन उन्हें अपने पसंदीदा कार्यक्रम और कॉलेज चुनने के लिए डैशबोर्ड (https://cuet.samarth.ac.in) पर लॉगिन करना होगा।

2) करेक्शन विंडो

जिन अभ्यर्थियों ने अपना प्रथम चरण पहले ही पूरा कर लिया है और कुछ क्षेत्रों को सम्पादित या संशोधित करना चाहते हैं. उनके लिए एक करेक्शन विंडो भी प्रदान किया गया है। यह उम्मीदवारों के लिए अपनी प्रोफाइल अद्यतन करने की मात्र एक बार की सुविधा है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, एनसीएल), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक,



दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के वे अभ्यर्थी जो अपने अद्यतन दस्तावेज/प्रमाण-पत्र फिर से अपलोड करना चाहते हैं, करेक्शन विंडो में जाकर ऐसा कर सकते हैं। किन्तु अभ्यर्थियों को करेक्शन विंडो में निम्नलिखित क्षेत्र को संपादित /संशोधित करने की अनुमित नहीं दी जाएगी :

क+ अभ्यर्थी का नाम

ख+ अभ्यर्थी का फोटो

ग+ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

घ+ अभ्यर्थी का लिंग

ड+ अभ्यर्थी का पंजीकृत ईमेल आईडी

च+ अभ्यर्थी का मोबाइल नंबर

छ+ अभ्यर्थी की श्रेणी/उप-श्रेणी/जाति/अतिरिक्त कोटा

अभ्यर्थी इसमें 'ईसीए' और 'स्पोर्ट्स सुपरन्यूमेरी कोटा' के लिए भी आवेदन नहीं कर पाएँगे। हालाँकि वे अपने प्रमाणपत्र पुनः अपलोड कर सकते हैं। प्रवेश प्रयोजनों के लिए केवल 'सीएसएएस पोर्टल' पर अपलोड किए गए दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों पर ही विचार किया जाएगा।

करेक्शन विंडो के खुलने की तिथि की सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा घोषित करने के उपरांत दी जाएगी। छात्रों की कक्षाओं में सशरीर शामिल हो जाने पर उनके प्रमाणपत्र का सत्यापन महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

3) विषयवार मेरिट स्कोर की गणना

चरण-॥ में, अभ्यर्थियों को कक्षा XII में उनके द्वारा पढ़े गए विषयों को उन विषयों से मिलाना होगा जिनमें वे सीयूईटी -2025 में उपस्थित हुए हैं। केवल उन्हीं विषयों पर विचार किया जाएगा जिनमें अभ्यर्थी ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की हो। यदि कक्षा 12 में पढ़ा गया विषय सीयूईटी का हिस्सा नहीं था, तो कक्षा 12 में पढ़ाए गए विषय के समान या उससे निकट विषय पर विचार किया जाएगा। सही विषय-मानचित्रण उपलब्ध कराना अभ्यर्थी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। प्रवेश के लिए, दिल्ली विश्वविद्यालय कार्यक्रम-समूह मेरिट स्कोर की गणना के लिए एनटीए द्वारा प्रदान किए गए विषय-आधारित ऐसामान्यीकृत स्कोर हे पर विचार करेगा। सामान्यीकृत स्कोर के आधार पर, अभ्यर्थी उन सभी कार्यक्रमों के लिए

अपने कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी स्कोर देख सकेंगे जिनके लिए वे पात्र हैं। ये कार्यक्रम-विशिष्ट सीयूईटी स्कोर स्वचालित रूप से गणना किए जाएंगे और उम्मीदवारों के डैशबोर्ड पर दिखाए जाएंगे।

4) वरीयताएँ भरने के लिए सलाह:

अभ्यर्थी ध्वरीयता चयनहं अनुभाग के माध्यम से अपनी वरीयताओं का चयन और क्रम निर्धारित कर सकेंगे। ध्उपलब्ध प्राथमिकताएँहे टैब में उम्मीदवार द्वारा चुने जा सकने वाले सभी संभावित कार्यक्रम + कॉलेज संयोजन प्रदर्शित होंगे। कॉलेजों के साथ-साथ कार्यक्रमों को फ़िल्टर करने के लिए, ऊपर उपलब्ध ध्उन्नत फ़िल्टरहं विकल्प का भी उपयोग किया जा सकता है। अभ्यर्थी को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम चुनना और सूचीबद्ध करना होगा। चयन का

क्रम ही वरीयता क्रम निर्धारित करेगा। आवेदक अपनी प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने के लिए प्रेशीर्ष,



निचला और वरीयता संख्याहे आइकन का उपयोग कर सकते हैं। वरीयताओं का अंतिम क्रम, जैसा कि भरा और सहेजा गया है, फिर ध्वयनित प्राथमिकताएं है व में प्रदर्शित की जाएंगी। वरीयता क्रम से संतुष्ट होने के बाद, अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत करने के लिए ध्परिवर्तन सहेजें करना होगा। अभ्यर्थियों को उनकी सहेजी गई प्राथमिकताओं के आधार पर आवंटित और प्रवेश दिया जाएगा। यह सलाह दी जाती है कि यदि प्रस्ताव दिया जाए, तो उम्मीदवार अधिकतम संख्या में वरीयताएँ चुनें जिनमें प्रवेश लेना चाहता है। चरण-॥ की समय-सीमा के बाद कार्यक्रमों और कॉलेजों में जोड़ने/हटाने/या संपादन करने की अनुमित नहीं होगी।

5) सीएसएएस (यूजी) - 2025 आवंटन-सह-प्रवेश अनुसूची:

विश्वविद्यालय रिक्त सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश के और चरणों की घोषणा कर सकता है। स्नातक कार्यक्रमों के लिए सेमेस्टर ।, ॥।, ٧ और ४॥ का शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार शुरू होगा। कृपया अद्यतन प्रवेश कार्यक्रम और जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें।

6) पहले राउंड में अतिरिक्त आवंटन

पहले राउंड के आवंटन में सिर्फ अनारिक्षत (यूआर), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी, एनसीएल), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणियों में 20% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा और सभी महाविद्यालायों के समस्त कार्यक्रमों के लिए अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) श्रेणियों में 30% आवंटन किया जा सकता है। हालाँकि उन महाविद्यालयों में, जहाँ पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रवेश हेतु 5% से कम निकासी हुई थी, यूआर/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस के लिए 10% अतिरिक्त आवंटन और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के लिए 15% अतिरिक्त आवंटन किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर विश्वविद्यालय छात्रों के व्यापक हित में बेहतर ढंग से सीटों को भरने के लिए नीतियों पर निर्णय ले सकता है।

7) जन जागरूकता वेबिनार

'एडिमशन ब्रांच'(नामांकन सिमिति) ने भावी छात्रों को उनके प्रश्नों के समाधान में मदद करने के लिए हेल्पडेस्क, चैट बॉक्स और ईमेल सुविधा स्थापित की है। विश्वविद्यालय की 'एडिमशन वेबसाइट' http://admission.uod.ac.in पर यह विवरण उपलब्ध है।

वेबिनार का सीधा प्रसारण विश्वविद्यालय के आधिकारिक यूट्यूब चौनल दिल्ली विश्वविद्यालय पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे 'स्नातक सूचना बुलेटिन 2023' और सीएसएएस 2023 के नियमों को ध्यान से पढ़ें तथा समस्त प्रकार के अपडेट के लिए नियमित रूप से विश्वविद्यालय के 'एडिमिशन वेबसाइट' पर जाएँ:

- 1. स्नातक सूचना बुलेटिन 2024: hhttps://admission.uod.ac.in/userfiles/downloads/29052024 CSAS-UG_compressed.pdf
- 2. एडमिशन वेबसाइट: <u>http://admission.uod.ac.in</u>
- 3. सीएसएएस पंजीकरण लिंक: https://ugadmission.uod.ac.in



8) स्थानांतरण/प्रवासन

विश्वविद्यालय के किसी अन्य महाविद्यालय से श्री अरविंद महाविद्यालय में प्रवासन हेतु आवेदन पर प्राचार्य द्वारा तभी विचार किया जाएगा, जब वह उस महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा अग्रेषित किया गया हो

तथा जहाँ से प्रवासन की मांग की गई हो। नामांकन प्रविष्टियों में आवश्यक परिवर्तन केवल दोनों प्राचार्यों से लिखित सहमित प्राप्त करने के बाद रजिस्ट्रार द्वारा विश्वविद्यालय के रजिस्टर में किया जाएगा। महाविद्यालय स्थानांतरण अनुदान का अधिकार सख्ती से सुरक्षित रखता है।

उपस्थिति

छात्रों को सभी लेक्चर्स, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल में भाग लेना आवश्यक है। उपस्थिति के उद्देश्य से ट्यूटोरियल को अलग से क्रमांकित किया गया है।

विश्वविद्यालय के नियमानुसार, सभी पाठ्यक्रमों के लिए और उत्तरोत्तर शैक्षणिक वर्षों में अलग से न्यूनतम उपस्थिति 66% आवश्यक है। अपेक्षित उपस्थिति प्रतिशत के बिना किसी भी छात्र को विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आंतरिक मूल्यांकन

विभिन्न विषयों में आंतरिक मूल्यांकन विश्वविद्यालय के दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

छात्रवृति

महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के सभी छात्रों को प्रसंस्करण हेतु छात्रवृत्ति फॉर्म 'ब' जमा करना चाहिए।





नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्क - वर्ष २०२५-२६

क्रम संख्या	शुल्क शीर्षक	बी.ए. (प्रोग्राम) / बी. ए. (ऑनर्स) अंग्रेज़ी / हिंदी / राजनीति विज्ञान / बी.कॉम / बी.कॉम (ऑनर्स) प्रथम वर्ष	पीडब्ल्यू डी (सभी स्नातक पाठ्यक्र मों हेतु) प्रथम वर्ष	बी.एससी (ऑनर्स) / इलेक्ट्रॉनिक्स / बी.एससी. जीवन विज्ञान / बी.एससी. भौतिक विज्ञान प्रथम वर्ष
1.	विश्वविद्यालय छात्र कल्याण कोष	250		250
2.	विश्वविद्यालय विकास कोष	1500		1500
3.	विश्वविद्यालय सुविधाएं एवं सेवा शुल्क	1500		1500
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता	250		250
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू कोष)	40	40	40
6.	शिक्षण शुल्क	180		180
7.	कॉलेज सुविधाएं एवं सेवा शुल्क	2280	55	2316
8.	कॉलेज विकास कोष	2470		2470
9.	कॉलेज छात्र कल्याण कोष	4600		7600
	कुल शुल्क	13070	95	16106





परास्नातक पाठयक्रम

क्रम संख्या	शुल्क शीर्षक	एम.ए. (हिंदी)	पीडब्ल्यूडी (एम.ए. हिंदी)
1.	विश्वविद्यालय छात्र कल्याण कोष	250	63
2.	विश्वविद्यालय विकास कोष	1500	375
3.	विश्वविद्यालय सुविधाएं एवं सेवा शुल्क	1500	375
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहायता	250	63
5.	दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू कोष)	40	10
6.	शिक्षण शुल्क	180	45
7.	कॉलेज सुविधाएं एवं सेवा शुल्क	2280	570
8.	कॉलेज विकास कोष	2470	618
9.	कॉलेज छात्र कल्याण कोष	4600	1150
	कुल शुल्क	13070	3269

टिप्पणियाँ:

- (a) विदेशी छात्रों को पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त \$100 अमेरिकी डॉलर के समतुल्य राशि का भुगतान करना अनिवार्य है जो विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा।
- (b) प्रवेश के समय छात्रों को छह माह की फीस के साथ-साथ अन्य वार्षिक शुल्क का भी भुगतान करना होगा।
- (c) कोई भी छात्र विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा जब तक कि कॉलेज के सभी बकाया भुग<mark>तान न कर दिए जाएँ</mark> और संबंधित प्रमाण-पत्र प्राप्त न हो जाए।

शुल्क वापसी

फीस की वापसी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।

सुरक्षा राशि की वापसी

यदि कोई छात्र/छात्रा महाविद्यालय छोड़ने की तिथि से तीन वर्षों के भीतर सुरक्षा राशि की वापसी के लिए आवेदन नहीं करता/करती है, तो उसकी महाविद्यालय एवं पुस्तकालय सुरक्षा राशि स्वतः जब्त मानी जाएगी। यदि छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय की किसी संपत्ति को क्षिति पहुँचाई जाती है अथवा उसके द्वारा खो दी जाती है, तो उस स्थिति में सुरक्षा राशि से उपयुक्त कटौती की जाएगी। छात्र/छात्रा की पूर्व सहमित प्राप्त होने पर, शेष सुरक्षा राशि को महाविद्यालय के पूर्व छात्र निधि में स्थानांतरित किया जा सकता है।

पहचान पत्र

प्रवेश के उपरांत प्रत्येक छात्र/छात्रा को महाविद्यालय द्वारा एक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा, जिसे महाविद्यालय परिसर में रहते समय हमेशा अपने पास रखना अनिवार्य है। केवल वही छात्र/छात्राएं महाविद्यालय में प्रवेश के पात्र होंगे जो मुख्य द्वार पर अपना वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय परिसर में किसी भी समय, किसी भी स्टाफ सदस्य द्वारा माँगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान पत्र के खो जाने, क्षितिग्रस्त होने, अत्यधिक अधिलेखन या विकृत हो जाने की स्थिति में, छात्र/छात्रा को उपयुक्त कारण प्रस्तुत करने के साथ-साथ ₹50/- का निर्धारित जुर्माना जमा कराना होगा, जिसके बाद प्रतिरूप पहचान पत्र जारी किया जा सकता है।

छात्र/छात्रा को अपने पते में किसी भी परिवर्तन के बारे में महाविद्यालय कार्यालय को तुरंत सूचित करना होगा, अन्यथा उनके पहचान पत्र रद्द कर दिए जाएंगे।

छात्रवृत्ति/शुल्क रियायत/छात्र सहायता निधि आदि।

महाविद्यालय भारत सरकार तथा दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं श्रेणियों के अंतर्गत छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। इनसे संबंधित समस्त जानकारी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रवृत्ति / एससी / एसटी / ओबीसी / दिव्यांगजन (PwBD) प्रकोष्ठ से प्राप्त की जा सकती है। जो छात्र आर्थिक रूप से सहायता के पात्र हैं या जो उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन करते हैं, उन्हें इन रियायतों का लाभ दिया जा सकता है। हालांकि, यदि कोई छात्र उपस्थिति में अनियमित पाया जाता है या उसकी शैक्षणिक प्रगति संतोषजनक नहीं होती है, तो महाविद्यालय को यह पूर्ण अधिकार है कि वह प्रदान की गई रियायतों को वापस ले ले। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहन देने हेतु 'छात्र सहायता निधि' का संचालन करता है, जिसके अंतर्गत पुस्तकों, छात्रवृत्तियों आदि के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। महाविद्यालय द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए दो योग्यता-सह-आवश्यकता आधारित छात्रवृत्तियाँ आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। ये छात्रवृत्तियाँ छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर प्रति वर्ष नवीनीकृत की जा सकती हैं। ऐसे सर्वश्रेष्ठ छात्र को एक विशेष पुरस्कार देने पर विचार किया जाता है, जो शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ सह-पाठ्य गतिविधियों में भी अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय द्वारा 'अरविंद ज्योति' नामक वार्षिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यह पत्रिका शिक्षकों और छात्रों को आत्म-अभिव्यक्ति, रचनात्मक लेखन तथा विचार प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम प्रदान करती है। यह पत्रिका महाविद्यालय की शैक्षणिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के साथ-साथ शिक्षकों एवं छात्रों की प्रतिभा का जीवंत प्रतिबिंब है।

धूम्रपान निषेध नोडल अधिकारी

कॉलेज को धूम्रपान-मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। परिसर में धूम्रपान निषेध नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कॉलेज द्वारा धूम्रपान-रोधी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

चिकित्सा जांच और अनुवर्ती कार्रवाई

महाविद्यालय में छात्रों की वार्षिक चिकित्सा जांच का कार्य आगंतुक चिकित्सकों की एक टीम द्वारा किया जाता है। साथ ही, छात्रों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु एक पूर्णकालिक नर्स की भी नियुक्ति की गई है।





खेल

महाविद्यालय की खेल टीमें विगत वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन की गौरवशाली परंपरा को निभाती आ रही हैं। मुक्केबाज़ी, तीरंदाज़ी, जिमनास्टिक, जूडो या क्रिकेट—हर खेल क्षेत्र में हमारे प्रतिभावान खिलाड़ियों ने जीत का परचम लहराया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि महाविद्यालय प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय को अनेक सक्षम और प्रतिभाशाली खिलाड़ी उपलब्ध कराता है। इन उपलब्धियों के पीछे खिलाड़ियों की निष्ठा, अनुशासन, और कठोर परिश्रम के साथ-साथ प्रशिक्षकों एवं खेल समिति की सतत प्रेरणा और मार्गदर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है।







राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC)

महाविद्यालय की एनसीसी इकाई सशक्त और सक्रिय संगठन के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसकी वार्षिक प्रशिक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियाँ अत्यंत सराहनीय रही हैं। नवोदित देशभक्तों की इस टुकड़ी का नेतृत्व हमारे अनुभवी एनसीसी अधिकारी द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है। गत वर्ष कैडेट्स ने अपनी लगन और अनुशासन का परिचय देते हुए कॉलेज परिसर से लेकर समाजिक सेवा तक विभिन्न गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के अनेक शिविरों में भागीदारी की और 'बी' एवं 'सी' प्रमाण पत्र परीक्षाओं में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। एनसीसी ने "एकता और अनुशासन" के अपने आदर्श वाक्य को सम्मान, समर्पण और राष्ट्रीय सेवा की भावना के साथ निरंतर बनाए रखा है।







राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में एक बहुत ही सक्रिय एन. एस. एस इकाई है। कार्यक्रम अधिकारी की प्रेरणा से विद्यार्थियों ने सामुदायिक उत्थान सेवाओं एवं रक्तदान शिविर आदि कार्यक्रमों में भाग लेकर उपयोगी समाज सेवाएँ प्रदान की है।

महाविद्यालय का समय

कक्षाएँ प्रातः 8:15 बजे शुरू होती है।

कार्यालय का समय

छात्र-व्यवहार सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक और पुनः दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच किया जाता है। महाविद्यालय का कार्यकाल सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है।

छात्र संघ

छात्र संघ महाविद्यालय में छात्रों की गतिविधियों का केंद्र बिंदु है। इसकी सदस्यता महाविद्यालय के समी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। इसका उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना और उन्हें लोकतांत्रिक संस्थानों के तरीकों में प्रशिक्षित करना है।

अध्यादेश

अध्यादेश xv-वी

विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना

- (1) अनुशासन और अनुशासन संबंधी कार्यवाही से संबंधित सभी शक्तियों प्राचार्य/उप कुलपति में निहित होंगी।
- (2) प्राचार्य/उप कुलपति ऐसी सभी शक्तियों को प्रॉक्टर या इसी प्रकार के किसी अन्य अधिकारी, जिसे वे विशेष रूप से निर्दिष्ट करें, सौंप सकते हैं।
- (3) बिना किसी पूर्वग्रह के अनुशासन <mark>ला</mark>गू करने की शक्ति की व्यापकता के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य अनुशासनहीनता माने जाएँगे।
 - (क) दिल्ली विश्वविद्यालय के दायरे में किसी भी संस्थान विभाग के शैक्षणिक और गैर- शैक्षणिक कर्मचारियों तथा किसी भी छात्र के विरुद्ध शारीरिक हमला या बल प्रयोग की धमकी।
 - (ख) किसी भी प्रकार के हथियार को साथ रखना, उसका उपयोग या उसके इस्तेमाल करने की धमकी देना।
 - (ग) नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1976 कानून का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करना ।
 - (घ) अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित छात्रों की परिस्थिति, गरिमा और सम्मान का उल्लंघन करना ।
 - (ड.)महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का मौखिक या अन्य तरीके का अपमानजनक व्यवहार।
 - (च) रिश्वत देने का कोई भी प्रयास या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ।
 - (छ) संस्थागत सम्पत्ति को जानबूझकर क्षति पहुँचाना।
 - (ज) धार्मिक या साम्प्रदायिक आधार पर वैमनष्यता या असहिष्णुता ।
 - (झ) विश्वविद्यालयी व्यवस्था के शैक्षणिक कार्यकलाप को किसी भी तरह से बाधा पहुँचाना।
 - (ज) अध्यादेश XV-सी के अनुसार रैगिंग करना।



- (4) प्राचार्य, बिना किसी पूर्वग्रह के अनुशासन बनाए रखने संबंधी अपनी शक्तियों की व्यापकता का उपयोग कर सकता/सकती है और अनुशासन को बनाए रखने के हित में प्राचार्य को जो भी उचित लगे, अपनी शक्तियों का आदेश देकर या सीधे कार्यवाही कर सकता/सकती है, जैसे-
- (क) कोई भी छात्र या छात्र समूह निष्कासित किया जा सकता है। या
- (ख) कोई भी छात्र या छात्र-समूह एक निश्चित अवधि के लिए निष्कासित किया जा सकता है। या
- (ग) किसी एक निश्चित अविध के लिए किसी भी विषय या विषयों में महाविद्यालय के विभाग या विश्वविद्यालय के किसी संस्थान में प्रवेश नहीं ले सकेगा। या
- (घ) एक निर्दिष्ट रुपये की धनराशि का जुर्माना किया जा सकता है। या
- (ड.) विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की विभागीय परीक्षा जिसमें उसने भाग लिया हो, प्रतिबंधित या रद्द किया जा सकता है।
- (5) प्रत्येक विद्यार्थी से यह आशा की जाती है कि वह इन नियमों की एक प्रति अपने पास रखेगा/रखेगी। प्रवेश के समय सभी विद्यार्थियों को एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि प्रवेश लेने पर वह प्राचार्य/उपकुलपित एवं अन्य सक्षम अधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में आएगा /आएगी और सक्षम अधिकारी विश्वविद्यालय के अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं। अन्य सक्षम अधिकारियों के अनुशासनात्मक अधिकार क्षेत्र में आएगा /आएगी और सक्षम अधिकारी विश्वविद्यालय के अध्यादेश/अधिनियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकते हैं।

अध्यादेश xv-सी

रैगिंग पर प्रतिबन्ध और दण्ड का प्रावधान

- (1) किसी भी प्रकार की रैगिंग चाहे वह महाविद्यालय परिसर के भीतर हो अथवा विभाग या संस्था और दिल्ली विश्वविद्यालय की व्यवस्था के अतिरिक्त आम यातायात में हो, सख्ती से प्रतिबंधित है।
- (2) व्यक्तिगत था त्सामूहिक रैगिंग जिससे चोर अनुशासनहीनता पैदा हो. इस अध्यादेश के अंतर्गत विवारणीय होगा।
- (3) इस अध्यादेश के अंतर्गत रैगिंग का सामान्यतः अभिप्राय है सीनियर विद्यार्थियों का जूनियर विद्यार्थियों के समुझ्ख शक्ति प्रदर्शन, उन पर हावी हो जाना, उन्हें नीचा आदि के अंतर्गत

निम्न बातें शामिल हैं:-

- (क) शारीरिक यातना और धमकी
- (ख) छात्र की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा का उल्लंघन
- (ग) अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों का अपमान
- (घ) विद्यार्थियों की खिल्ली उड़ाना और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचान गाली-गलौज, आक्रामकता, बुरी नजर और अश्लील हरकत करना आदि



- (4) महाविद्यालय के प्राचार्य, विभाग या संस्था के अध्यक्ष, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय या छात्रावासों के साम अधिकारी रेगिंग की घटना पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं।
- (5) क्लॉज (4) के तहत संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय के अनुशासनाधिकारी रैगिंग की किसी भी घटना पर जाँच कर सकते हैं और प्राचार्य/उप-कुलपति को रैगिंग की प्रकृति और उसमें शामिल व्यक्तियों की अभिसूचना दे सकते हैं।
- (6) अनुशासनाधिकारी रैगिंग करने वाले के विरूद्ध अपनी आरंभिक रिपोर्ट प्राचार्य को सौंप सकता है।
- (7) यदि प्राचार्य या विभाग के अध्यक्ष या संस्थान के अनुशासनाधिकारी लिखित रूप से रिकार्ड किए गए तथ्यों से संतुष्ट हो तो जाँच करना अनावश्यक होगा। इसके आधार पर वे प्राचार्य/उपकुलपति को सीधे अपनी राय दे सकते हैं।
- (8) यदि प्राचार्य/उपकुलपति को लगे कि इसमें आगे जाँच करना आवश्यक नहीं है तो उन्हीं का निर्णय अंतिम होगा।
- (9) क्लॉज (5) था (6) के अन्तर्गत प्राप्त रिपोर्ट या क्लॉज, तीन (ए). (बी) और (सी) के अंतर्गत उल्लिखित रैगिंग की घटना पर क्लॉज (7) के अंतर्गत दृढ़ निश्चय द्वारा प्राचार्य / उपकुलपति स्वयं दंडात्मक कार्रवाई करते हुए विद्यार्थी का प्रवेश रद्द कर सकते है या कुछ वर्षों के लिए उसे निष्कासित कर सकते हैं।
- (10) रैगिंग संबंधी अन्य घटनाओं पर प्राचार्य/उपकुलपित निर्देश या आझा द्वारा विद्यार्थी को कुछ निश्चित समय के लिए महाविद्यालय के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा से एक या अधिक वर्षों के लिए बाहर कर सकते है या उसकी परीक्षा के परिणाम निरस्त कर सकते हैं।



- (11) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से डिग्री डिप्लोमा लिया हो, यदि इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराधी पाए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय के परामर्श पर उनकी डिग्री-डिप्लोमा वापस लेने के लिए स्थिति (15) के तहत उनके विरूद्ध समुचित कार्रवाई की जायेगी।
- (12) इस अध्यादेश के अनुसार रैगिंग के लिए उकसाना, वह चाहे किसी कृत्य के द्वारा हो या किसी व्यवहार के द्वारा भी रैगिंग माना जाएगा।
- (13) इस अध्यादेश के अन्तर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी संस्थानों को उक्त निर्देशों एवं आदेशों का पालन करना अनिवार्य है साथ ही वे उपकुलपति द्वारा इस अध्यादेश को प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित करने में सहायक हो सकते हैं।

नोट: भारत सरकार के नियमों के अनुसार रैगिंग एक दंडनीय अपराध है।



कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (बंद करना, प्रतिबंधित करना और क्षतिपूर्ति), अधिनियम 2013, (विधि और न्याय मंत्रालय)

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करने का अधिनियम एवं शिकायतकर्ता के यौन शोषण के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए यौन शोषण को प्रतिबंधित करना एवं उसकी क्षतिपूर्ति से संबंधित मामले-

महिलाओं का उनके कार्यस्थल पर शोषण न हो, साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 के अनुसार समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन न हो तथा अनुच्छेद 21 के अनुसार उनको यौन शोषण मुक्त सुरक्षित वातावरण में कोई भी व्यवसाय, नौकरी, व्यापार करने का अधिकार हो। महिलाओं के सम्मानपूर्वक कार्य करने के मानवाधिकार को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा भी सर्वत्र मान्यता प्राप्त है, उनके प्रति सभी प्रकार के भेदभावों का बहिष्कार किया गया है। इसका समर्थन 25 जून 1993 को भारत सरकार ने किया है। महाविद्यालय में इससे संबंधित आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है, जो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित नियमों के तहत कार्य करती है।

महाविद्यालय लैंगिक तटस्थता की नीति में विश्वास करता है और सभी लिंगों का सम्मान करता है।





माता-पिता/अभिभावक

महाविद्यालय को विद्यार्थियों के माता-पिता और अभिभावकों के सहयोग की सदैव आवश्यकता होती है। महाविद्यालय यथासंभव विद्यार्थियों को शैक्षणिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित करता है और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट उनके माता-पिता/अभिभावकों के पास भेजने के लिए प्रयत्नशील रहता है।

पुस्तकालय एवं अध्ययन कक्ष

श्री अरविन्द महाविद्यालय में पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय है। अपने छात्रों को उनकी प्रतिभा के शिखर तक पहुँचाने के लिए महाविद्यालय के पास विभिन्न अनुशासनों की पुस्तकें बड़ी मात्र में उपलब्ध हैं। वर्तमान में पुस्तकालय में 66765 पुस्तकें हैं। अध्ययन कक्ष में समाचार पत्र-पत्रिकाएँ, जर्नल्स, सामयिकी आदि उपलब्ध हैं। पुस्तकालय के नियमों का पालन करना एवं इसको अध्ययन की जगह बनाना विद्यार्थियों की जिम्मेदारी है।

पुस्तकालय की किसी पुस्तक, सामयिकी या किसी जर्नल के पन्नों को किसी भी परिस्थिति में फाड़ना-मोड़ना सख्त मना है। पुस्तकालय परिसर में शांति बनाए रखना अति आवश्यक है।

प्रयोगशाला की सुविधा

महाविद्यालय के विज्ञान विभाग में अति विकसित प्रयोगशालाएँ हैं। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रयोगशालाएँ अत्याधुनिक उपकरणों एवं यंत्रों से समृद्ध हैं।





कंप्यूटर प्रयोगशाला

महाविद्यालय में केंद्रीत इंटरनेट सुविधा के साथ एक सुसज्जित कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब का उपयोग छात्रों द्वारा अपने पाठ्यक्रम कार्य का अध्ययन करने के अलावा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाने और विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।

नियोजन प्रकोष्ठ/कक्ष (प्लेसमेंट सेल)

महाविद्यालय का प्रशिक्षण और प्लेसमेंट सेल छात्रों और कॉर्पोरेट जगत् के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। कॉलेज को विभिन्न क्षेत्रों की 100 से अधिक कंपनियों से ऑफर मिले हैं। पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान 200 से अधिक छात्रों को एचडीएफसी, कारदेखो, स्विगी, महिंद्रा, किरयर लॉन्चर, लेंसकार्ट, अर्बन कंपनी, ट्रेडशाला, ईगो पाठशाला, बिजगुरुकुल, पायनियर सॉल्यूशंस आदि जैसी फर्मों से इंटर्निशप और प्लेसमेंट के लिए चुना गया।

रोजगार और प्रशिक्षण मेले के दौरान 50 से अधिक कंपनियों ने भाग लिया, जिसके परिणामस्वरूप 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, केपीएमजी, डी शॉ, जोमैटो, एसबीआई, प्लैनेटस्पार्क, जीएससी एसोसिएट्स, बेलवे रियलटेक आदि कुछ भर्तीकर्ता थे।

सांस्कृतिक गतिविधियाँ

महाविद्यालय के सांस्कृतिक समूह ने आज विश्वविद्यालय सांस्कृतिक क्षेत्र में अपनी एक पहचान बनाई है। आज महाविद्यालय में आठ पंजीकृत सोसायटी मोक्ष (थिएटर), क्रंक (पश्चिमी नृत्य), बैंडवैगन्स (फैशन), तालीम (भारतीय संगीत), एलेग्रो (पश्चिमी संगीत), सेज (साहित्यिक), ३पी (पेंटिंग, पोस्टर और फोटोग्राफी) और साल्वेशन (पर्यावरण) हैं। संकाय समन्वयकों के कुशल मार्गदर्शन में ये सिमत छात्रों को विभिन्न इंटर कॉलेज और इंट्रा कॉलेज कार्यक्रमों में भाग लेने और प्रदर्शन करने में मदद करती हैं। महाविद्यालय में नई प्रतिभाओं को तलाशने के लिए सितंबर की शुरुआत में एक वार्षिक टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। छात्रों ने सभी प्रमुख इंटर और इंट्रा कॉलेज प्रतियोगिताओं/उत्सवों में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से हर बार कॉलेज का नाम रोशन किया है। बेसब्री से इंतजार किया जाने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम 'महक', महाविद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। देश भर के विभिन्न संस्थानों की सभी श्रेणियों की प्रतियोगिताओं में हमारी उत्साहपूर्ण भागीदारी होती है। महाविद्यालय युवाओं के बीच भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध स्पीकमेक सोसायटी का सदस्य है। इस तरह की समृद्ध बातचीत से छात्रों को कला और संस्कृति की हमारी समृद्ध विरासत के बारे में संपूर्ण समझ विकसित करने में मदद मिलती है।

सूचना

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए पहले, तीसरे, पाँचवे और सातवें सेमेस्टर(सत्र) के सुसंगत स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु पालन किया जाने वाला शैक्षणिक कैलेंडर की सूचना विश्वविद्यालय द्वारा जारी करने के उपरान्त दी जाएगी।













